फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामा
बनाम
विपक्षी : श्री बगदीराम व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
पत्रावली संख्या : 247 / 21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नही किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं गंगा, गीता की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक भूमि है जिसमें सजरे में वर्णित तेजा, गोकल, पेमा, किसना उर्फ काल्या, भगा, बावरिया का निधन हो गया है शेष सभी वारिसान जीवित होकर इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण एवं गीता व गंगा है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं गीता, गंगा के मोरूस श्री तेजा जी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी और तेजा जी के निधन के बाद विरासत से उक्त भूमि उनके पुत्र गोकल, पेमा, किसना उर्फ काल्या में हिस्सा बराबर से निहित हुई जिससे उक्त भूमि में गोकल का 1 / 3 हिस्सा, पेमा का 1 / 3 हिस्सा, किसना उर्फ काल्या का 1 / 3 हिस्सा हक अधिकार हो इसी हक हिस्से अनुसार काबिज हुए। गोकल के निधन बाद विरासत से उसके 1 / 3 हिस्से की भूमि उसके वारिश बावरिया, चोखला में हिस्सा बराबर से निहित हुई जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी बावरिया का 1 / 6 हिस्सा, चोखला का 1 / 6 हिस्सा है एवं बाबरिया का निधन हो गया जिसके वारिश रामा का 1 / 6 हिस्सा है। इसी तरह पेमा का रूपा एवं कजोड में हिस्सा बराबर से निहित हुई जिससे उक्त भूमि में भगा का 1 / 9 हिस्सा, रूपा का 1 / 9 हिस्सा, कजोड का 1 / 9 हिस्सा है। भगा का निधन हो गया जिससे भगा का 1 / 9 हिस्सा उनके वारिस केलाश, चुनकी एवं कमा में हिस्सा बराबर से निहित हुआ एवं किसना उर्फ काल्या का निधन हो गया जिसका 1 / 3 हिस्सा विरासत से उसके वारि[illegible] गीता बाई में हिस्सा बराबर से निहित हुआ एवं बाबरिया का निधन ह[illegible]या [illegible]सका 1 / 6 हिस्सा उसके वारिश रामा में निहित हुआ और इसी हक हिस्से अनु[illegible] मौके पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 का किसी प्र[illegible] का कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं है। विपक्षी संख्या [illegible] 5 प्रार्थनाग्रस्त भूमि [illegible] दिन जबरन कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थी को बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested

करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा हरिया खेडा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत 2078–81 की में प्रार्थी संख्या 2, 6, 7 खातेदार है तथा प्रार्थी संख्या 1 खातेदार बावरिया पुत्र गोकल के वारिसान बताया है। प्रार्थी संख्या 3, 4, 5 खातेदार भगा पुत्र पेमा के वारिसान बताये है। विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा है कि विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी संख्या 2, 6, 7 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार है तथा प्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार के वारिसान बताये है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हरियाखेडा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 36 की आराजी नम्बर 28, 29, 31, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 किता 20 र[illegible]00 है, भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके [illegible] नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested